


प्राप्ति। सतना | २०.८.२०१८ | ०१३६३

मंप्र
न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (सर्किट कोटी) रीवा
जिला रीवा म0प्र0



ब्रजलाल सिंह तनय रामसेवक सिंह उम्र 72 साल पेशा खेती निवासी
ग्राम ऐरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 आवेदक

बनाम

श्रीकान्त सिंह तनय राममिलन सिंह उम्र 55 साल पेशा खेती निरो ग्राम
ऐरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 अनावेदक

अधिकारी महानगर पालिका
नाम प्रेषण 23-2-18
(मु.)
कालके जाक कोटी
राजस्व मण्डल म0प्र0 नामक
(सर्किट कोटी) रीवा

निगरानी विरुद्ध सीमांकन आदेश
राजस्व निरीक्षक बृत्त मौहारी कटरा
तह0 अमरपाटन जिला सतना
दिनांक 20.6.2017 जो सीमांकन
प्रक्र0 क्र0 51/अ12/16-17 मे
पारित किया जाकर अनावेदक द्वारा
कराये गये सीमांकन की पुष्टि की
गई

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0
भू रा० संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न लिखित आधारो पर प्रस्तुत
है:-

1— यह कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित प्रश्नाधीन सीमांकन पुष्टीकरण आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2— यह कि राजस्व निरीक्षक ने प्रश्नाधीन सीमांकन की कोई सूचना आवेदक को नहीं दी जबकि आवेदक सरहददी काश्तकार था और प्रश्नगत भूमि सर्वे नं 28/11 से संलग्न दक्षिण दिशा मे स्थिति भूमि सर्वे नं 166/3 का वह भूमिस्वामी था इस तरह आवेदक के प्रश्नाधीन भूमि के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-आ

प्रकरण क्रमांक II / नंगा. 1363 जिला- सुरना

बूज लाल सिंह विरुद्ध श्री कलन्तु सिंह

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

18/12/18

1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलकार/ नाथब तहसीलकार/ राजस्व निरीक्षक, तहसील अंग्रेजाल के प्रकरण क्रमांक 5.I/A/12.1.6.47 में पारित आदेश दिनांक 20-6-17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। मोप्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सुरना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 27-12-18 को कलेक्टर सुरना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

✓
सदस्य

